

वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल नालंदा (बिहारशरीफ)।

॥ दर आमंत्रण सूचना ॥

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

निविदा संख्या-

दिनांक :-

जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण योजनान्तर्गत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/ केन्द्रीय/ राज्य सरकार / एम.ई.एस./ सी. पी. डब्ल्यू.डी./ सार्वजनिक क्षेत्र में निबंधित संवेदकों से दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के अंतर्गत नीचे अंकित परियोजना हेतु दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि संवेदक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में पूर्व से निबंधित नहीं है, तो एकरारनामा के पूर्व इन्हें निगम में निबंधित होना अनिवार्य होगा। कार्य के लिए एकरारनामा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के मानक अनुबंध (एस.सी.डी) प्रपत्र के अन्तर्गत होगा।

1. कार्य का ब्यौरा

क्र०	जिला	कार्य का विवरण	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में) (अप्रत्यपर्णीय)	अग्रधन की राशि (लाख रु० में)	Bid Processing Fee (Online Payment) (अप्रत्यपर्णीय)	कार्य की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नावादा	जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास निर्माण।	337.44	10000.00	6.75	17,250.00	15 माह

2. बीड पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय : दिनांक - 31.01.2017 के 10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 22.02.2017 को अपराह्न 3.00 बजे तक सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
3. बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक-23.02.2017 को 3.00 बजे अपराह्न तक। सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक- 25.02.2017 को अपराह्न 3.30 बजे तक। सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
5. निविदा की वैध अवधि : बीड समर्पित की अंतिम तिथि से 120 दिन तक।
6. क्रमांक 2, 3 एवं 4 (निविदा संबंधित तिथि) में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
7. तकनीकी बीड में सफल संवेदकों का ही वित्तीय बीड सिर्फ वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर खोला जाएगा।
8. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। यह उन्हें वेबसाइट (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनिवार्य है।
9. ई-निविदा पत्र, अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाइट (www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।
10. संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि 23.02.2017 के अपराह्न 3.30 बजे तक वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल नालंदा (बिहारशरीफ) / उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना में परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि को मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है।
11. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाइट www.brpnlnic.in एवं www.eproc.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।
12. दस करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि होने पर Joint Venture स्वीकार्य होगा।



13. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं पंजीकरण हेतु ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, बैंक ऑफ इण्डिया बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, एम०/22, श्री कृष्णानगर, रोड न० - 25, पटना (दूरभाष संख्या-0612-2523006, मो०न०-7542028164) से सम्पर्क किया जा सकता है।
14. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाइट www.brpnnl.nic.in/ www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

सम्पर्क पदाधिकारी का नाम -

श्री दिलीप कुमार सिंह,
वरीय परियोजना अभियंता
(मोबाईल नं०- 9473400408)

श्री पमित कुमार शाही
परियोजना अभियंता

(मोबाईल नं०- 9471004828)

ह.-

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल नालंदा (बिहारशरीफ)।

Memo Doc. No.:- BRPNNL/ NAL/

Dt.

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को तीन हिन्दी एवं एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र एवं एक उर्दू समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु पाँच प्रतियों में एक सी०डी० के साथ समर्पित किया जाता है।

अनु० : यथावत् ।

ह.-

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल नालंदा (बिहारशरीफ)।

Memo Doc. No.:- BRPNNL/ NAL/

Dt.

प्रतिलिपि :- उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, बिहार अंचल, बि०रा०पु०नि०लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


ह.-

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल नालंदा (बिहारशरीफ)।

Memo Doc. No.:- BRPNNL/ NAL/ 92

Dt. 21/01/2017

प्रतिलिपि :- वेबसाइट इंचार्ज, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल नालंदा (बिहारशरीफ)।

नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा/दर प्रस्ताव के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य, बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं अग्रधन की राशि को निम्न रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (i). कॉलम - 5 में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल नालंदा (बिहारशरीफ), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पदनाम से निर्गत हो तथा बिहारशरीफ में भुगतये हो। (SPE, BRPNL, WORKS DIVISION - NALANDA PAYABLE AT BIHARSHARIF)
 - (ii). कॉलम-6 में अग्रधन की राशि को निम्न रूप से संलग्न करना अनिवार्य है जो वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल नालंदा (बिहारशरीफ), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (SPE, BRPNL WORKS DIVISION - NALANDA) के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त होगा।
 - a बिहार राज्य से निर्गत, बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा/ NSC/KVP
 - b एक करोड़ से ऊपर के परियोजना के लिए शर्तहित बैंक गारंटी भी (बीड पीरियड के 45 दिनों बाद तक वैध) स्वीकार्य होंगे, जो किसी भी अनुसूची भारतीय बैंक से निर्गत हो (बिहार राज्य के बाहर के बैंक से निर्गत की स्थिति में, एकरारनामा के पूर्व बिहार राज्य अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक में परिवर्तित कराना होगा)।
 - (iii). कॉलम-7 में अंकित राशि को बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट / डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन0 ई0 एफ0 टी0 / आर0 टी0 जी0 एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
 - a. "Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS."
 - b. "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
2. संवेदक को तकनीकी बीड में निम्न अर्हता अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा तथा समस्त प्रमाण पत्रों (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) को स्कैन कर अपलोड (UPLOAD) करना अनिवार्य है। निविदा प्राप्ति के बाद कोई भी कागजात/प्रमाण -पत्र आदि स्वीकार्य अथवा विचार योग्य नहीं होगा।
 - (i). आयकर PAN/TAN, वाणिज्य कर प्रमाण पत्र।
 - (ii). संवेदक को किसी सरकारी/ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा (क) Debar (ख) Blacklisted एवं (ग) विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर Rescind न होने की सूचना का शपथ पत्र।
 - (iii). विगत पाँच वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष का Civil Construction work से संबंधित कार्य का, ऑडिटेड टर्न ओभर (A.T.O.) जिसमें निविदित कार्य विशेष के अनुमानित लागत का किसी एक वर्ष में कम से कम 40 % के समतुल्य होना अनिवार्य है। टर्न ओभर के साक्ष्य के रूप में Audited Profit & Loss Account संलग्न करना भी अनिवार्य है।
 - (iv). संवेदक को उनके जिम्मे, सम्पादित किये जा रहे अन्य कार्यों के एकरारनामा की राशि, बीड प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सम्पादित किये गये कार्यों की राशि एवं सम्पादन हेतु अवशेष कार्यों की राशि की स्पष्ट विवरणी, कार्यवार तैयार कर अलग से तालिका रूप में, शपथ-पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य है। यदि उनके जिम्मे कोई कार्य नहीं भी है तो भी शपथ-पत्र के माध्यम से शून्य प्रतिवेदन करना अनिवार्य है।
 - (v). संवेदक द्वारा Bid Amount का 25 प्रतिशत (कम से कम) invest करने का शपथ पत्र जिसमे कार्य के नाम का उल्लेखित होना अनिवार्य है।
 - (vi). उपरोक्त बिन्दु (ii), (iii), (iv) एवं (v) से संबंधित शपथ-पत्र का प्रारूप बेवसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। शपथ पत्र निविदा प्रकाशन (निर्गत) की तिथि एवं प्राप्ति की तिथि के बीच के अवधि का होना अनिवार्य है।
 - (vii). विगत पांच वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदित भवन के 50 प्रतिशत Plinth Area यानि 425 M² क्षेत्रफल का भवन विद्युत कार्य सहित को पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत) संलग्न करना अनिवार्य है। यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित भवन निर्माण का कार्य उक्त पाँच वित्तीय वर्ष में ही आरंभ हुआ है।
 - (viii). विगत पाँच वित्तीय वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में उपरोक्त निविदित कार्य के लिए निम्नवार अर्हता (सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत) अनिवार्य है।

(Signature)

